श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश कमांकः-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

2021/295

प्रार्थी दौलतराम पुत्र भानी राम जाति जाट निवासी वार्ड नं0 5 दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मूलरसीद , मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिस प्रमाण पत्र, आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरी माता लिछमा देवी पत्नी भानी राम जाति जाट निवासी गांव चक 3 क्यू दौलतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 17.07.2019 को वसीसत कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 31.05.2021 को हो गया था। उनके द्वारा दिनांक 17.07.2019 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान सुभाष चन्द्र पुत्र औमप्रकाश एवं औमप्रकाश पुत्र फूसाराम ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री सर्वजीत सिंह ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

5/10/21

जिला पंजीयक महोदय